न्यायालय : अवर न्यायाधीश,अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
बंटवारा वाद संख्या 63ए/2015
सीआइएस 652.18

प्रस्तुत समक्षः **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

आदेश

दिनांक 15.12.2022 वाद पुकारा गया। मामले में प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन 21.06.2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है प्रतिवादी का कथन है कि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जो कि न्यायालय में 11.04.2019 को कुल 31 कागजात दाखिल किए गए यह कि कुछ दस्तावेज 30 वर्ष पुराना बयनामा दस्तावेज हैं कुछ सर्वेहाल खतियान की सच्ची प्रतिलिपि है कुछ दस्तावेज राजस्व रसीद है जो तीस वर्ष पुराना और कुछ तीस वर्ष के अन्दर का है यह कि दिनांक 02.03.2023 को साक्ष्य बंद कर दिया गया और अभिलेख बहस पर निर्धारित हो गया । यह कि प्रतिवादी अपनी ओर से दाखिल कागजात को प्रदर्श अंकित कराने में जानबूझकर विलंब नहीं किए हैं अंकित न्यायालय से निवेदन हैं कि साक्ष्य को पुनः खोलकर प्रतिवादी की तरफ से दाखिल दस्तावेजों जो कि लोक दस्तावेज हैं उन्हें प्रदर्श अंकित करने तथा आवेदन की कंडिका संख्या 20, 25, 31, 33 तक के कागजात पर प्रक्रिया के तहत प्रदर्श अंकित करवाने का आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

वादी की तरफ से अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि मामले में प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस की जा चुकी है प्रतिवादी प्रथम पक्ष का साक्ष्य पूर्व में ही बंद हो चुका है यह कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 21.01.2023 को साक्ष्य बंद करने का आवेदन दिया गया तब जाकर साक्ष्य बंद किया गया यह कि कौन सा दस्तावेज 30 वर्ष पुराना है और कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यह कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने वादी को परेशान करने के कारण यह आवेदन दिया गया है अतः प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा न्यायालय में प्रदर्श करने हेतु जो आवेदन दिया गया है वह साक्ष्य बंद होने के पश्चात दिया गया है यह वाद प्रतिवादी ने अपने आवेदन में स्वीकार की है मामले में बहस भी प्रारंभ हो चुकी है । अभिलेख आठ वर्ष पुराना है मामले में प्रतिवादी ने खुद साक्ष्य बंद करने का निवेदन किया था यह कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गयी है। मामले में प्रतिवादी संख्या 01 के आवेदन पत्र में वर्णित कंडिका सं0 01 से लेकर 19 तक के दस्तावेज जो कि तीस वर्ष पुराने हैं तथा दस्तावेज कंडिका सं0 29 और 30 भी तीस वर्ष पुराना है उसे साक्ष्य खोलते हुए प्रदर्श अंकित करने की इजाजत दी जाती है तथा अन्य दस्तावेजों के बारे में प्रतिवादी प्रथम पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि वह नजारत मोतिहारी में 5000रु खर्च जमा करें तथा अग्रिम पांच तिथियों में प्रदर्श अंकित करने संबंधी समस्त प्रक्रिया पूर्ण करें। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रदर्श अंकित दस्तावेजों पर प्रदर्श क्रमांक अंकित करें। वाद दिनांक .....अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)